भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3012

उत्तर देने की तारीख- 06/08/2026

वन गुर्जर जनजातीय समुदाय का मौसमी प्रवासन

†3012. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 5 जून, 2025 को उत्तराखंड राज्य सरकार और जिला प्रशासनों को एक पत्र जारी किया था जिसमें वन गुर्जरों के मौसमी प्रवासन के दौरान होने वाले उत्पीड़न के जवाब में मौसम के अनुकूल चराई क्षेत्रों पर उनके अधिकारों की मान्यता में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पत्र में उठाए गए मुद्दों के जवाब में उत्तराखंड राज्य सरकार के जनजातीय विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने वन-आश्रित पशुपालक समुदायों को मौसम के अनुसार उनके वार्षिक प्रवासन की सुरक्षा के लिए कोई भावी योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): जी हां, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने 5 जून 2025 को उत्तराखंड राज्य सरकार और देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल के जिला प्रशासनों को पत्र जारी किये थे।

उत्तराखंड सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित ज़िला प्रशासनों को इन मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है।

(ग): मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है कि खानाबदोश या पशुपालक समुदायों के पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के सामुदायिक अधिकारों सहित किसी भी हकदार लाभार्थी को उसके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए, जैसा कि एफआरए की धारा 3(1)(घ) में निर्धारित किया गया है।
